

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिशनरेट के सामने, रोडरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)-342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

दिनांक: 13/09/2022

क्रमांक: एफ (139)/एफ.सी.ए/उवसं/2022/5049

निमित्त:- Assistance Engineer (T&C)

132 KV GSS, MBM Engineering College
Rajasthan Rajya Vidyut Parsarn Nigam Limited
Bhadala, Tehsil- Phalodi
Dist- Jodhpur (Rajasthan) PIN-334 003

विषय:- Diversion of 0.1004 Ha. for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil -Bap, District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No FP/RJ/TRANS/145262/2021

संदर्भ:- इस कार्यालय पत्रांक एफ (139)/एफ.सी.ए/उवसं/2022/9787 दिनांक 09.12.2022 एवं आपके कार्यालय द्वारा पुनः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड प्रस्ताव दिनांक 10.09.2022 के क्रम

महोदय

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विषयांकित प्रस्ताव में form A, Part-II की पूर्ति हेतु उक्त विद्युत लाइन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 08.12.2021 को इस कार्यालय द्वारा एवं आपके कार्यालय के सहायक अभियंता, श्री कुलदीप भारद्वाज के साथ किया गया जिसमें प्रस्तावित प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में आप द्वारा मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग 11 की रक्षित पट्टी का ही प्रत्यावर्तन प्रस्ताव भेजा जबकी प्रस्तावित विद्युत लाइन निर्माण में वनखण्ड बाप की वनभूमि भी शामिल की पुनः आपके निरीक्षण/अवलाकेन हेतु लिखा गया था तथा सम्पूर्ण प्रस्ताव की 4 फोल्डर आपको संदर्भित पत्र द्वारा लोटा दिए गए थे। प्रस्ताव फाईल फोल्डर (हार्ड कॉपी) प्रेषित करने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा संभव हो सकेगी।

अतः आक्षेपों का पूर्ण अध्ययन कर अपने स्तर की खामियां दूर कर जल्द से जल्द संशोधित प्रस्ताव/ फोल्डर फाईल के साथ वचन बद्धता/समस्त दस्तावेजों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने के साथ ही हार्ड कॉपी की 4-4 प्रति में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु दस्तावेज इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(अजीत उचोई I.F.S.)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

दिनांक

क्रमांक:सम/

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
3. सहायक वन संरक्षक, फलोदी
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में आपके अधिकार वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण आपकी रेंज से संबंधित है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वक्त निरीक्षण मय स्टाफ मौके पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा साथ ही प्रत्यावर्तित वनभूमि पर पौधों की गणना कर प्रपत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक
जोधपुर